नगर परिषद, भीलवाडा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम २००१ की घारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आदेवन नं	LSG/BHILWARA/FIRENOC/2023-24/21245
जारी दिनांकः	29-AUG-2023

पेपित-

अविंदक का नाम श्री/श्रीमतीः आवेदक का पताः

GURVINDER SINGH BHATIA 82 WARD NO 31 PANSAL ROAD BHILWARA

विषयः- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन GREENVALLEY PUBLIC SCHOOL BHATIA EDUCATIONAL AND, SOCIAL SERVICE TRUST, 82 WARD NO 31, PANSAL ROAD, BHILWARA, BHILWARA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निगन शर्तो पर पावंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्ते:-

- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रसाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। 2.
- . अण्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा। 2
- अण्निश्मन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा। यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य 4. 5
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही होगा ! पाए जाने कि रियति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को 7
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा। 8.
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
- रोप लेंडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा। Ģ.
- 10.

यह अण्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अण्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा। भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत 11. 12.

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफट०प रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक स्वयं उतरदायी होगा जारी किया जा रहा हैं वहा पर रूफट०प रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। 13.

भवन के समस्त स्थाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण 14 दिलाना आवश्यक होगा।

> Signed by: Hema Ram Location: BHILWARA, Rajasthan Date: 29/08/2023 16:52:55

अग्निशमन आधेकारी नगर परिषद, भीलवाडा